(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 12-26/2010-संस्कृत(यू.3ए)
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 10 अप्रैल, 2019

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि,** केन्द्र सरकार ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 07.05.2002 की अधिसूचना सं 9-28/2000-यू3 द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली - जिसके लखनऊ, इलाहाबाद, जयपुर, श्रींगेरी, त्रिचूर, पुरी, जम्मू और गारिल (कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश) में स्थित आठ बहु-परिसर को पांच वर्ष के बाद समीक्षा के अधीन "सम विश्वविद्यालय" के रूप में घोषित किया था। और जबकि, केन्द्र सरकार ने, दिनांक 01.01.2009 की अधिसूचना सं.9-28/2000-यू3 द्वारा, यूजीसी की सलाह पर, 'राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान', नई दिल्ली के सम विश्वविद्यालय के दर्जे को अगले पांच वर्षों अर्थात 06.05.2012 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया था।

3. **और जबकि,** केन्द्र सरकार ने, यूजीसी की सलाह पर, अपनी दिनांक 30.06.2009 की अधिसूचना सं 9-28/2000-यू3 द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली को भोपाल और मुम्बई परिसर को घटक शिक्षण इकाईयों के रूप में अपने क्षेत्राधिकार के तहत लाने की अनुमति प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त जबिक, केंद्र सरकार ने दिनांक 13 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या 9-28/2000-यू.3(पार्ट-I) के माध्यम से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के सम-विश्वविद्यालय के दर्जे को दिनांक 07.05.2012 से आगे बढ़ा दिया था।

4. **और जबकि,** राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली ने अगरतला, त्रिपुरा में ऑफ कैम्पस केंद्र शुरू करने के नया आवेदन प्रस्तुत किया था। इस आवेदन को जांच और परामर्श हेतु यूजीसी को अग्रेषित किया था। यूजीसी ने विशेषज्ञ समिति की सहायता से आवेदन की जांच की। आयोग द्वारा दिनांक 22.09.2014 को आयोजित अपनी 503वीं बैठक में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, को अगरतला, त्रिपुरा में ऑफ कैम्पस केंद्र की स्थापना करने हेतु प्रस्ताव के अनुमोदन की संस्तुति की। इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 दिसंबर, 2016 को यूजीसी की उक्त संस्तुति से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अवगत करवा दिया था।

5. **अब, इसलिए,** केन्द्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी के परामर्श से, एतदद्वारा दिनांक 5 दिसंबर, 2016 से राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली को अगरतला, त्रिपुरा में ऑफ कैम्पस केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करती है।

6. उपर्युक्त पैरा 5 में की गई घोषणा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

i. अगरतला, त्रिपुरा कैम्पस के समग्र कार्य-निष्पादन की निगरानी आयोग द्वारा छह वर्षों तक अर्ध-वार्षिक तौर पर और तदोपरांत मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी और प्रबंधन, शैक्षणिक विकास और सुधार के संबंध में इसके निदेश घटक संस्था पर बाध्यकारी होंगे।

ii. इस मंत्रालय में विनिर्धारित की गई सभी पूर्व शर्तों का समविश्वविद्यालय द्वारा पालन किया जाएगा।

iii. अगरतला, त्रिपुरा कैम्पस को मौजूदा कार्मिक के साथ-साथ सभी चल और अचल आस्तियों/संपत्तियों को सम-विश्वविद्यालय के नाम पंजीकृत किया जाएगा।

iv. यूजीसी की पूर्व अनुमति के बगैर समविश्वविद्यालय संस्था/अथवा इसके ऑफ कैम्पस की निधियों/राजस्व का कोई विपथन नहीं होगा।

v. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पस ऐसी किसी गतिविधि में शामिल या लिप्त नहीं होंगे जिसकी प्रकृति वाणिज्यिक या लाभकारी हो।

vi. समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ कैम्पस पर प्रस्तावित किए जा रहे/प्रस्तावित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा विनिर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप होंगे।

vii. समविश्वविद्यालय संस्था अपने सभी ऑफ कैम्पस में शोध कार्यक्रम और डॉक्टरल एवं नवाचार शैक्षणिक कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगी।

viii छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नये पाठ्यक्रम/कार्यक्रमों को शुरू करने आदि के मामले में यूजीसी और अन्य संबंधित सांविधिक परिषद के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाविधि लागू रहेंगी और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पसों द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

ix. जैसे और जब भी आवश्यक हो, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 के अनुसार अपने समझौता ज्ञापन (एमओए)/नियमों को अद्यतन या संशोधित या उपांतरित करेंगी।

x. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय), नई दिल्ली के साथ-साथ इसके ऑफ कैम्पस समय-समय पर यथासंशोधित यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2019 में निहित यूजीसी के अनुदेशों का पालन करेगा।

ईशिता राय

(ईशिता राय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23381721

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिन्टो रोड, नई दिल्ली – 110002

<u>प्रतिलिपि अग्रेषित:</u>

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
2. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
3. कुलपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, 56-57, इंस्टिट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

4. संयुक्त सचिव (भाषा) उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
5. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
6. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
7. निदेशक (प्रशासन) और वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक को इसे विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के आवश्यक अनुदेश दें।
8. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्रत प्रधान

(सुब्रत कुमार प्रधान)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23387948